न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर फूलियाकलां जिला भीलवाडा
पीठासीन अधिकारी– श्री भंवरलाल कांसोटिया, आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 – 08 / 2018 / प्रार्थना पत्र	तारीख दायर 02.01.2018	तारीख फैसला 25.01.2018

उनवान

राजमल पिता धन्ना खटीक निवासी खेड़ा राजपुरा तह0 फूलियाकलां

– प्रार्थी

बनाम

1– नाजमीन पत्नि गुलशेर खॉ कायमखानी नि0 खेड़ा राजपुरा
2– नौसर पत्नि हीरा कीर निवासी जोरावरपुरा (गुलाबपुरा) तह0 हुरड़ा
3– कालू पिता हीरा कीर निवासी जोरावरपुरा (गुलाबपुरा) .तह0 हुरड़ा
4– शंकर पिता हीरा कीर निवासी जोरावरपुरा (गुलाबपुरा) तह0 हुरड़ा

– विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा– 128 एल0आर0एक्ट
उपस्थित :– श्री सुनील कुमार शर्मा : अधिवक्ता प्रार्थी

निर्णय

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा – 128 एल0आर0एक्ट विरूद्व विपक्षीगण के प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है, ग्राम खेड़ा राजपुरा पटवार हल्का सांगरिया तहसील फूलियाकलां मे प्रार्थी की खातेदारी अधिकार की खाता संख्या 90 आ0न0 373 रकबा 0.77 है, आ0न0 374 रकबा 0.07 है0, कुल किता 02 रकबा 0.84 है0 स्थित है। पेरा नं0 1 मे वर्णित आराजीयात की सीमाओं के विपक्षीगण नं0 1 व 4 पड़ोसी होने से आये दिन फसल काश्त करते समय व फसल काटते समय मौके पर विवाद करते है। अतः निवेदन है कि पैरा नं0 1 मे वर्णित आराजी की मुस्तकिल निशान से पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश बक्षाते हुए प्रार्थी की भूमि की चारों सीमाओं पर मुस्तकिल निशान लगाये जाने का आदेश बक्षावे।

प्रकरण पंजीबद्व किया जाकर विपक्षीगणों को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 19.01.2018 को अप्रार्थी संख्या 1 का सम्मन बाद तामील प्राप्त हो जाने पर भी उपस्थित नही हुये। अतः दिनांक 19.01.2018 को विपक्षी संख्या 1 के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही की गई। दिनांक 25.01. 2018 को प्रार्थी के अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 2 व 4 के विरूद्व कोई

कार्यवाही नही चाहने से उसके विरूद्व कार्यवाही ड्रोप की गई। प्रार्थी के अभिभाषक ने बहस करनी चाही जिससे उनकी एक तरफा बहस सुनी गई। बहस मे अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यों एवं दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने हेतु निवेदन किया। बहस पर मनन एवं दस्तावेज का अवलोकन किया गया। जमाबन्दी ग्राम खेड़ा राजपुरा पटवार मण्डल सांगरिया संवत 2070 से 73 के खाता संख्या 90 आ0न0 373 रकबा 0.77 है, आ0न0 374 रकबा 0.07 है0, कुल किता 02 रकबा 0.84 है0 का प्रार्थी खातेदार काश्तकार दर्ज रेकार्ड है अतः उक्त आराजी की पत्थरगढ़ी के आदेश दिया जाना उचित समझता हूँ :-

आदेश

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0आर0एक्ट विरूद्व विपक्षीगण के स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम खेड़ा राजपुरा पटवार हल्का सांगरिया तहसील फूलियाकलां मे प्रार्थी के खातेदारी अधिकार की खाता संख्या 90 आ0न0 373 रकबा 0.77 है, आ0न0 374 रकबा 0.07 है0, कुल किता 02 रकबा 0.84 है0 का प्रार्थी के खातेदारी की पत्थरगढ़ी अन्य किसी न्यायालय मे प्रकरण जैरकार होकर स्थगन आदेश आदि न हो तो पक्षकारान की मौजूदगी मे ऑफ सीजन मे पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु तहसीलदार फूलियाकलां को 300/- (अक्षरे तीन सौ रूपये मात्र) की कमीशन राशि पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीशन राशि मौके पर प्रार्थी से प्राप्त करे। निर्णय प्रति पालनार्थ तहसीलदार फूलियाकलां को भेजी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 25.01.2018 को विवृत न्यायालय मे सुनाया गया।

(भंवरलाल कांसोटिया)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, फूलियाकलां (भीलवाड़ा)

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर
फूलिया कलाँ,जिला-भीलवाड़ा

प्रतिलिपि :– तहसीलदार, फूलियाकलां पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान की मौजूदगी मे नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावे।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, फूलियाकलां (भीलवाडा)

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर
फूलिया कलाँ, जिला–भीलवाड़ा